भारत सरकार / GOVERNMENT OF INDIA
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय /
Ministry of Environment, Forest & Climate Change
क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून /
Regional Office, Dehradun
सत्यमेव जयते
25 सुभाष रोड, देहरादून-248001/ 25 SUBHASH ROAD, DEHRADUN-248001
दूरभाष/ PHONE-0135-2650809, ई-मेल/ E-mail-moef.ddn@gov.in

पत्र सं0 8 बी/यू.सी.पी./06/67/2023/एफ.सी. **दिनांकः As per E-sign**

सेवा में,

प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी
वन संरक्षण, इन्दिरानगर फारेस्ट कालोनी,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषयः उत्तराखण्ड राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग-72 (झाझरा के पास) दिल्ली-देहरादून एक्सप्रैस वे (आशारोड़ी सेक्शन के पास) से जोड़ने वाले चार लेन ग्रीनफील्ड रोड का विकास किमी0 0.000 से किमी0 12.00 तक निर्माण हेतु 20.0849 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को प्रत्यावर्तन। (Online Proposal No. FP/UK/ROAD/140350/2021).

सन्दर्भः-(i) कार्यालय- प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, उत्तराखण्ड का पत्रांक 1956/12-1: देहारादूनः दिनांक 31-01-2025.
(ii) इस कार्यालय द्वारा आयोजित आर.ई.सी. की बैठक दिनांक 27.02.2025 के उपरांत जारी किए गए कार्यव्रत (copy of MoM of REC meeting is on https://forestsclearance.nic.in/rec_report.aspx).

महोदय,

उपरोक्त विषय पर संदर्भित पत्र का आशय ग्रहण करते हुए मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि प्रस्ताव पर आर.ई.सी. की बैठक दिनांक 27.02.2025 में चर्चा की गई थी जिसमें प्रस्ताव पर निम्नानुसार निर्णय लिया गया:

"*After detailed discussion on various aspects of the proposal, the committee decided to recommend the proposal with standard terms and conditions and only after the submission of compliance of specific additional condition(s):*

1. *The DFO Dehradun and Project Proponent shall submit a technical specification and details of attempts made to reduce the felling of trees and findings thereof.*
2. *The project proponent shall submit an undertaking that the final outcome w.r.t. Hon'ble Supreme Court Orders in the CWP (C) No 1164/2023 dated 03.02.2025 shall be complied.*
3. *The DFO Dehradun shall prepare a plan for fencing (wall fencing) around the forest land adjacent to the proposed road to avoid any encroachment and protect forest land from collateral damage. The cost of the proposed wall shall be borne by the user agency.*
4. *The DFO Dehradun shall prepare a plan for fencing (wall fencing) in the patches of*

adjacent forest lands inside the residential area that are prone to encroached in future. The cost shall be borne by the user agency.

5. *The State Forest Department shall ensure that the CA area shall be planted with minimum 50% of Sal trees.*"

उपरोक्त के क्रम में जवाब प्राप्ति के उपरांत ही प्रस्ताव पर अग्रिम कार्यवाही की जा सकेगी ।

Digitally signed by Neelima Shah
Date: 17-03-2025 11:02:19

भवदीया,

(नीलिमा शाह, भा०व०से०)
सहायक महानिरीक्षक वन (केन्द्रीय)

प्रतिलिपिः- प्रमुख सचिव (वन) उत्तराखण्ड शासन, सुभाष रोड़, देहरादून सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।